

श्री रामप्रसाद चौधरी, शिकायतकर्ता उपस्थित हैं । श्री ए.पी.खरे, पंचायत निरीक्षक एवं लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हैं । उनके साथ पंचायत सचिव श्री प्रवीण तिवारी भी उपस्थित हैं ।

2. शिकायतकर्ता को उनके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान की गई है । प्रकरण निरस्त किया जाता है ।

(टी०एन०श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
20 जुलाई, 2006